न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 413/2024

अनवान : –

1. गुरदेव सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति रायसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. प्रीतम सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति रायसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. ज्ञानो बाई पुत्री सुरजन सिंह जाति रायसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 07/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 83/83 के कुल खसरे 18 की कुल तादादी 3.7950 है0 भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वादीगण के पिता सुरजनसिंह के स्वर्गवास के बाद जायज वारिस भिरा बाई (पत्नी), गुरदेवसिंह (पुत्र), प्रेमसिंह (पुत्र), प्रीतम सिंह (पुत्र) ज्ञानो बाई (पुत्री) हुए वादी की माता भिरा बाई पत्नी सुरजनसिंह का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादीगण के भाई प्रेमसिंह पुत्र सुरजनसिंह लावल्द फोत हो चुका है।

प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादीगण की बहिने है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इसलिए रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 83/83 के कुल खसरे 18 की कुल तादादी 3.7950 है0 भूमि में मृतका भिरा बाई पत्नी सुरजनसिंह व मृतक प्रेमसिंह पुत्र सुरजनसिंह प्रत्येक के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि में वादीगण ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:09 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने प्रतिवादी को कई द... कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ... आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण भीराबाई, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रेमसिंह पुत्र सुरजन सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत रतनपुरा की प्रेमसिंह के लावल्द फौत होने की तस्दीक, वारिस प्रमाण पत्र, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 83/83 के कुल खसरे 18 की कुल तादादी 3.7950 है0 भूमि में मृतका भिरा बाई पत्नी सुरजनसिंह व मृतक प्रेमसिंह पुत्र सुरजनसिंह प्रत्येक के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज है। भिरा बाई पत्नी सुरजनसिंह व प्रेमसिंह पुत्र सुरजनसिंह (लावल्द) का देहान्त हो चुका है इनके जायज वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 है जो की उक्त भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार दर्जं करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 1 द्वारा अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया गया है। प्रतिवादीया द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 83/83 के कुल खसरे 18 की कुल तादादी 3.7950 है0 भूमि में मृतका भिरा बाई पत्नी सुरजनसिंह व मृतक प्रेमसिंह पुत्र सुरजनसिंह प्रत्येक के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भिरा बाई पत्नी सुरजनसिंह व प्रेमसिंह पुत्र सुरजनसिंह (लावल्द) का देहान्त हो चुका है इनके जायज वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 है जो की उक्त भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अपने हक हिस्सा अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 1 द्वारा अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया गया है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीया द्वारा स्वीकार किया जाकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक भिरा बाई व प्रेमसिंह के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 83/83 के कुल खसरे 18 की कुल तादादी 3.7950 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि में मृतका भिरा बाई पत्नी सुरजनसिंह व 1/5 हिस्सा भूमि में मृतक प्रेमसिंह पुत्र सुरजनसिंह दोनो का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:30:09 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 413/2024

अनवान : –

1. गुरदेव सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति रायसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. प्रीतम सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति रायसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. ज्ञानो बाई पुत्री सुरजन सिंह जाति रायसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 413 सन 2024 निर्णय दिनांक 07/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 83/83 के कुल खसरे 18 की कुल तादादी 3.7950 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि में मृतका भिरा बाई पत्नी सुरजनसिंह व 1/5 हिस्सा भूमि में मृतक प्रेमसिंह पुत्र सुरजनसिंह दोनो का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:09 IST
Reason: SelfAttested